Uttar Pradesh Shasan
Kar Evam Nibandhan Anubhag-7

The Governor is pleased to order the publication of the english translation of the Government notfication No-1/ K.N.-7-964/11-2014-700(59)/2013, dated 19 September, 2014 for general information.

Notification
Order

No-1/ K.N.-7-964/11-2014-700(59)/2013
Lucknow, Dated 19 September, 2014

in exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to remit, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the stamp duty chargeable on the land transferred in the form of equity by the Greater Noida Industrial Authority in favour of S.P.V. company to develop integrated industrial township.

By order,

(Anil Kumar)
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

कर एवं निबन्धन अनुभाग-7

संख्या:1/क0नि0-7-964/11-2014-700(59)/2013

लखनऊ: दिनांक:19 सितम्बर, 2014

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ग्रेटर नोयडा औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने हेतु इक्विटी के रूप में एस0पी0वी0 कम्पनी को अन्तरित की गई भूमि पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते है।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1/964 (1)/11-7-2014-700 (59)/2013, दिनांक

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 19-09-2014 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की दो सौ प्रतियॉ आयुक्त स्टाम्प उ0 प्र0, इलाहाबाद को तथा एक सौ प्रतियॉ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव

संख्या-1/964 (1-19)/11-7-2014-700 (59)/2013, दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
(8) आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ को इस अपेक्षा से कि वे अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करें।
(9) आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ।
(10) निदेशक, सूडा, नवचेतना भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
(11) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, लखनपुर, कानपुर नगर।
(12) निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर नगर।
(13) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(14) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(15) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, सूचना निदेशालय, लखनऊ।
(16) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी माल एवेन्यू लखनऊ।
(17) शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(18) विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(19) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in